

पत्रांक-10/स4-25/07 मा०-----/  
मानव संसाधन विभाग, बिहार।

द्रेष्टक,

बहुमत प्रसाद शिव्य  
निदेशालय मा० बिहार।

तैकाम्,

श्री अधिकारी गाँगुली,  
उद्योग  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
सिर्फ़ केन्द्र 2 कम्पुनिटी तेज्वर,  
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक-

विषय:- शक्ति इंडिया सेकेडमी अभियान स्थान, आमी, सारण को अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाराज,

उपरीकह विष्य के संबंध में निदेशालयनुसार सूचित करना है कि सरकारी अधियोगना संख्या-238 दिनांक-3-4-2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, छारा ने प्राप्त प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा की गई तथा शक्ति इंडिया सेकेडमी अभियान स्थान, आमी, सारण को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली ते सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुमति की गयी है। तमिति की अनुमति के आलोक में समीक्षीयरान्त स्थिति निम्नवृत्त है:-

1. विद्यालय का संघालन निर्बंधित शक्ति द्रष्टव्य, पटना द्वारा किया जा रहा है तथा विद्यालय ने निर्बंधित सौताइंटी में एक परिवार का प्रभुत्व न होने को प्रमाण-पत्र समर्पित किया है। द्रष्टव्य के सदस्यों की सूची दी गयी है, परन्तु सभी का पेशा सामाजिक कार्यकर्त्ता बताया गया है। सामाजिक कार्यकर्त्ता से को सामान्य शब्द है। इसे वास्तविक व्यक्ताय का पता नहीं चलता है। शर्त के अनुस्य विद्यालय के द्रष्टव्य के प्रत्येक सदस्य के वास्तविक पेशा को स्पष्ट करना चाहिए। सदस्यों की सूची संलग्न है।

2. विद्यालय ने किसी निर्बंधित सौताइंटी/न्याय के क्रेन्याइजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रेड नैम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को निर्बंध के माध्यम से 12-02-05-13। दो रुप्लड दो कठन पाँच धूर तेरह धूरकी। भूमि 3। कर्ज के लीज पर उपलब्ध है, जिस पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के मापदण्ड के अनुसार कर्मर निर्गत है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्था निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुस्य है।

  
Principal

Shakti Shanti Academy  
Ambika, Sthan, Ami (Saran)  
Affiliated to C.B.S.E. Delhi  
School Afft. No.-330230

  
Secretary

Shakti Shanti Academy  
Ambika, Sthan, Ami (Saran)  
Affl. to C.B.S.E. No.-330230

4. विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति समाचार पत्रों में प्राप्त निशानकर घटित प्रश्निया द्वारा करने की दावा की गयी है तथा शिक्षकों की नियुक्ति घटित प्रश्निया के द्वारा किया गया है परन्तु ऐसा कोई साक्षगत नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि नियुक्ति भैं घटित प्रश्निया का अनुपालन करते हुए पारंदर्शिता बरती रही है। फैन्ड्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रश्निया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के माध्यमिकों के अनुसम है।

5. विद्यालय में हिन्दौ अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित हुल्कों, वार्डिंग लेखा अवैधता तथा वार्डिंग प्रतिवेदन प्रतिलिपि तार्जनिक करने का आश्वासन दिया गया है।

विद्यालय अपने आश्वासन के अनुसम जारीरहा है कोई फैन्ड्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नहीं टिली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा जिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिकृत निया-238 दिनांक 3-4-2006 में उलौखित और घटित गती स्वीकार है। अभित शर्तों के अनुसार:-

1. विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ीस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे दूसरा हुल्क अध्ययन किसी भी प्रकार का हुल्क नहीं किया जायेगा। ऐसे बच्चों की ओर से भैं अनुशुल्क जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यरिक्त, विकासी वालिकार समाज समान्य श्रेष्ठों के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- ताठ हजार स्थैतिक होती है।

2. विद्यालय में नर्सरी/क०जी०अथा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षा त्कारा। बच्चों सर्व माता/पिता तहित नहीं किया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुली तरीका से Draw no. १०१ के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

3. नर्सरी/क०जी०अथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर सर्व उच्च प्राथमिक सर्व माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी ३ किलोमीटर तक रहेगी।

4. जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन हुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षा विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, फिर भी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर पर जांच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके नियंत्रित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि तर्बीयित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य सर्व औदित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह गत्ते सार्वजनिक करनी होगी तथा इकाए उल्लेख की प्रौद्योगिक सर्व बेक्साइट भी करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कारबाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46 दिनांक-18-1-2008 द्वारा शिक्षा विभाग के विवरीयित लाइन नहीं दिए जाने तर्बीयित आवेदनों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षा हेतु कियी भी सम्मिलित होगी।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा विवित शर्तों के आधार पर तथा नियंत्रित संस्थान एकेडमी, अम्बिका स्थान, आमो, सारण, बिहार को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली ते सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

विद्यालयभाजन,

३०/-

। कम्पोजिट प्रताद सिंह ।  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार ।

धनाधारम्/

पत्रांक-

344 / पत्ना, दिनांक- 28/3/08

प्रतिलिपि- इनिति संस्थान एकेडमी, अम्बिका स्थान आमो, सारण, बिहार को सूचनार्थ सर्व आवश्यक कार्यार्थी प्रेषित।

*X-02  
27/3/08*

। कम्पोजिट प्रताद सिंह ।  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार ।

*(Signature)  
27/3/08*

*K Singh*  
Principal  
Shakti Shanti Academy  
Ambik, Saran, Ami (Saran)  
Affiliated of C.B.S.E. Delhi  
School Afft. No.-330230

*Affected  
Jasraj Kumar  
Secretary  
Shakti Shanti Academy  
Ambika, Sihan, Ami (Saran)  
Affl. to C.B.S.E. No.-330230*